

2023/762

308

23

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-भू.अ./2023/2023/24
प्रेषिति.

दिनांक:-06/06/2023

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री डा. सु पिता गोप्ता ज्ञाट नि.
पाल प.ह. पाल के राजस्व ग्राम पाल कोखरा में जमाबन्दी संवत
2079 की खाता संख्या 88 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जाति/नाम डा. सु किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जाति/नाम डा. सु का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबन्धित जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

डा. सु
तहसीलदार (भू.अ.)

बस्सी, जिला-चित्तौडगढ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रीडर/2023/84

दिनांक:-07/06/2023

निमित्त,

पटवार हल्का पाल

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री डा. सु पिता गोप्ता ज्ञाट
राजस्व ग्राम पाल कोखरा प.ह. पाल की खाता संख्या 88 में
जाति/नाम डा. सु दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांग व
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार द्वारा भी जाति/नाम
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री डा. सु पिता गोप्ता ज्ञाट की
जाति/नाम डा. सु एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. पाल राजस्व रिकार्ड में
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

डा. सु
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार

पालना सुनिश्चित करे।

डा. सु
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ